दिनांक 24.04.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री के0एल0 चौहान ने निगम सभागार में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, के संबंध में समस्त जोन आयुक्त, सहायक राजस्व अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, गैस एजेंसी के नोडल अधिकारी, निगम के सभी सहायक अभियंता, उप अभियंता, राजस्व निरीक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, सहित सर्वे कार्य में संलग्न समस्त दल के सदस्य विभाग प्रमुखों की बैठक ली गई।

निगम आयुक्त श्री चौहान ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा/ जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के संबंध में ऐसे श्रमिकों का फॉर्म भराया जाना है जिनका श्रमिक पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है। निगम क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 88 हजार श्रमिकों का बीमा फॉर्म भराये जाने के संबंध में उपस्थित समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को घर–घर सर्वे कर जीवन बीमा आवेदन फॉर्म जमा कराने के साथ–साथ गुलाबी राशन कार्ड के पात्र लगभग 6800 हितग्राहियों से भी उज्जवला योजना के अंतर्गत लाभ दिलाये जाने के लिए भी पृथक से आवेदन फॉर्म वितरित किया गया है।

आयुक्त महोदय के द्वारा निगम क्षेत्र के अंतर्गत पुरे 70 वार्डों में उक्त कार्य को कराया जाना है इस संबंध में पृथक से वार्डवार सर्वे दल गठित किया गया है समस्त सर्वे दल को निर्धारित लक्ष्य के साथ–साथ 29 अप्रैल 2018 तक कार्य को पूर्ण किये जाने के सक्त निर्देश दिये गये है ताकि हितग्राहियों का ऑनलाईन पंजीयन किया जा सके।

संबंधित दोनों योजनाओं का विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए श्री चौहान ने कहा कि बीमा योजना के लिए श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का प्रथम पेज की छायाप्रति हितग्राहियों से प्राप्त करना है, इसी तरह उज्जवला योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म के साथ हितग्राही का दो पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, के साथ आवेदन कर्ता के परिवार के बालिक सदस्य का भी आधार कार्ड प्राप्त कर लेंवे। अनुसूचित जाति, जनजाति के ऐसे हितग्राही जिनके पास पहले से ही गैस का कनेक्शन हो उन लोगों को छोड़कर शेष इस वर्ग के पात्र हितग्राहियों से आवेदन फॉर्म जमा करावें ।

निगम आयुक्त श्री चौहान ने इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों से सर्वे दल को सहयोग प्रदान करते हुए जो आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता हो उसे अवश्य उपलब्ध करावें ताकि शासन की इस महती योजना का लाभ आप लोगों को अधिक से अधिक मिल सके।

जनसम्पर्क अधिकारी